राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांकः 16.12.2014

अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9.क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है किः–

1. कलक्टर (मुद्रांक) के न्यायालय में इस अधिसूचना की तारीख तक दर्ज एवं विचाराधीन मुद्रांक प्रकरणों में पक्षकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी पेटे देय राशि जमा कराने पर उस राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति में 100 प्रतिशत रियायत देय होगी।
2. कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा इस अधिसूचना की तारीख तक निर्णीत मामलों में, निर्णय के फलस्वरूप स्टाम्प ड्यूटी पेटे देय राशि अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में जमा करवाई जाती है तो उस राशि पर देय शास्ति एवं ब्याज की राशि में 100 प्रतिशत रियायत देय होगी।
3. कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा इस अधिसूचना की तारीख तक निर्णीत मामलों में, निर्णय के फलस्वरूप स्टाम्प ड्यूटी पेटे देय राशि अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के उपरान्त किन्तु 60 दिवस की अवधि में जमा करवाई जाती है तो उस राशि पर देय शास्ति एवं ब्याज की राशि पर 75 प्रतिशत रियायत देय होगी।
4. कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा इस अधिसूचना की तारीख तक निर्णीत मामलों में, निर्णय के फलस्वरूप स्टाम्प ड्यूटी पेटे देय राशि अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 60 दिवस के उपरान्त किन्तु 90 दिवस की अवधि में जमा करवाई जाती है तो उस राशि पर देय शास्ति एवं ब्याज की राशि पर 50 प्रतिशत रियायत देय होगी।
5. राजस्थान कर बोर्ड या किसी न्यायालय में स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में विचाराधीन प्रकरणों में यदि पक्षकार प्रकरण withdraw करके स्टाम्प ड्यूटी पेटे देय राशि जमा करवाता है तो उस राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति की राशि में बिन्दु संख्या 2, 3 एवं 4 के अनुसार रियायत देय होगी।

उक्त प्रकार के किसी भी प्रकरण में पूर्व में अदा किये जा चुके स्टाम्प शुल्क, ब्याज व शास्ति के रूप मे भुगतान की गई किसी अन्य राशि का प्रतिदाय (रिफण्ड) नहीं होगा।

(सं. प.2(6)वित्त/कर/2014–143)
राज्यपाल के आदेश से,
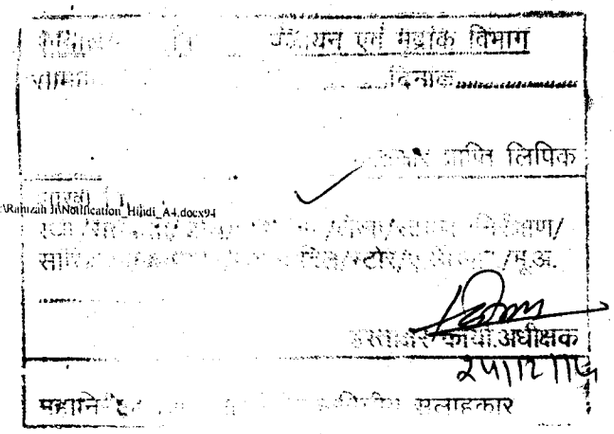
(मनीष माथुर)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व)